<u>दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 12.3.2016

वकील वादी श्री महेश कुमार द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 पैतृक खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 372 रकबा 0.0100 है, ख.न. 373 रकबा 0.1500 है., ख.न. 375 रकबा 0.3400 है., ख.न. 387 रकबा 0.4600 है. ख.न. 388 रकबा 1.4800 है, ख.न. 388/525 रकबा 1.600 है राजस्व ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर मे अवस्थित है। जिसका पूर्व खातेदार वादीगण का दादा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का पिता रामेश्वर लाल था। जिनका निर्वसियति हिन्दू के रूप मे देहांत वर्ष 2004 मे हो गया। विवादित भूमियो के 1/2 हिस्से के सम्बंध मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सगी बहिनो द्वारा हक त्याग प्रलेख दिनांक 22.04.2004 को निष्पादित किया गया था जो उपपंजीयक सीकर द्वारा दिनांक 16.12.2010 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 724 पृष्ठ संख्या 164 कम संख्या 2010011646 पर पंजिबद्व है। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार मान्य करते हुये। प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 को 1/12 हिस्से का इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के पैतृक हिस्से मे से वादी संख्या 6 से 8 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को भी 1/20 –20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 9 को 1/8 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 10 व 11 को 1/12 – 1/12 हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मद संख्या 1 मे वर्णित भूमिया मे प्रतिवादी संख्या 6 से 11 का नाम कयकर्ता के रूप मे दर्ज है। परन्तु उनके कब्जे हक अधिकार की भूमियों का खाता पृथक होकर खातेदारी नगर परिषद के नाम दर्ज हो चूकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 के हक मे रामेश्वर लाल से खरीद शुद्वा भूमि के पट्टा संख्या 3223 दिनांक 25.5.15 को जारी हो चूका है। इसी प्रकार रामेश्वर लाल द्वारा विकित कयकर्ता सम्पति देवी पत्नी राघेश्याम सोनी की फुट स्टेप की भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के पूर्वज महावीर प्रसाद ने प्रतिवादीया संख्या 7 कें नाम से खरीद किया था। प्रतिवादीया सं. 7 की सहमति से उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 9 चौथमल के हक मे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned by CamScanner

पट्टा संख्या 2578 दिनांक 13.9.06 को जारी हो चूका है। इस प्रकार उक्त भूमियो सें प्रतिवादी संख्या 6 व सम्पति देवी का नाम रिकार्ड से हजफ किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बिना किसी पारिवारिक आवश्यकत के पैतृक कृषि आरिजयात को खुर्द–बुर्द व विक्रय करने की कुचेष्टा में है । इन्हे पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 को देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 से 5 वाद में पहले से पक्षकार मौजूद है इसलिये इनका नाम हजफ किया गया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित आकर दिनांक 30.7.2015 राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया सभी तथ्यों से संतुष्ट होने पर वाद वादीगण कृषि भूमि ख.न. 372 रकबा 0.0100 है, ख.न. 373 रकबा 0.1500 है., ख.न. 375 रकबा 0.3400 है., ख.न. 387 रकबा 0.4600 है. ख.न. 388 रकबा 1.4800 है, ख.न. 388/525 रकबा 1.600 है राजस्व ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का कुडली तहसील व जिला सीकर बरूऐ राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 को 1/12 हिस्से का इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के पैतृक हिस्से मे से प्रतिवादी संख्या 6 से 8 प्रत्येक को 1/20–1/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को भी 1/20 – 1/20 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 9 को 1/8 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 के 1/4 हिस्से मे से वादी संख्या 10 व 11 को 1/12 – 1/12 हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 6 व सम्पती देवी का नाम रिकार्ड से हजफ किया जाता है। जिला कलक्टर सीकर के आदेश की क्रम संख्या 11 पर वर्णित 967 वर्ग गज आबादी भूमि वादी संख्या 1 से 5 के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामानन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner